



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2020
अग्रहायण 19, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर

पत्र-संख्या 5276-81/बं०श्र०(रा०मा०आ०)-20
कानपुर, 10 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना
प्रकीर्ण

प०आ०-554

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बन्धुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1976) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1436-40/एस०आर०बी०एल० सतर्कता समिति, दिनांक 8 मार्च, 2017 का अतिक्रमण करके राज्यपाल, परगना अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद के लिये एक सतर्कता समिति का गठन करती हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1-उप जिला मजिस्ट्रेट, अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद	अध्यक्ष
2-श्री मगन लाल पुत्र श्री प्रहलाद, ग्राम व पोस्ट जैनापुर, जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
3-श्रीमती मनू पत्नी श्री रामेश्वर, राजेपुर राठौरी जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
4-श्री रामनाथ पुत्र श्री बुद्धि लाल, हमीपुर सोमवंशी, राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
5-श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री राम औतार, अम्मरपुर की मडैया, पो० राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
6-श्री कल्लू शाह पुत्र श्री सुल्तान शाह, बरूआ, पो० राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
7-खण्ड विकास अधिकारी, राजेपुर	सदस्य
8-सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, अमृतपुर	सदस्य
9-सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
10-प्रबंधक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद	सदस्य
11-तहसीलदार, अमृतपुर	सदस्य

आज्ञा से,
मोहम्मद मुस्तफा,
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/पदेन सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 678 राजपत्र-2021-(1336)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० श्रम-2021-(1337)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।